गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

शमन / स्वीकृत पत्र

पत्रांकः 49 /प्रवर्तन जोन–4/2016–17 दिनांकः 28/1/17

सेवा में,

मैसर्स लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा0लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री मनु गर्ग,
एन.एच.–24, निकट कोलम्बिया एशिया हॉस्पिटल, ग्राम–महरौली, गाजियाबाद।

विषयः भूखण्ड संख्या **Pocket-I, लैण्डक्राफ्ट गोल्फलिंक इन्टीग्रेटिड टाउनशिप, ग्राम–महरौली, गाजियाबाद** पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण के **शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनांक **10.08.16** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शुल्कों एवं प्रतिबन्धों के साथ दिनांक **01.12.16** को स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति के क्रम में आरोपित शमन शुल्क धनांक **रु0 40,52,465.00** जमा किये जाने हेतु डिमांड पत्र संख्या–279/प्रवर्तन जोन–4/2016–17, दिनांक 02.12.2016 प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया। डिमांड पत्र के सापेक्ष आप द्वारा आरोपित शमन शुल्क ब्याज सहित **रु0 40,52,465.00 (रुपये चालीस लाख बावन हजार चार सौ पैसठ)** मात्र विजया बैंक, नवयुग मार्केट दिनांक 09.12.2016 के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में विद्यमान निर्माण का निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है :–

1. शपथ पत्र दिनांक 19.11.2016 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. स्थल पर नियमानुसार लैण्ड स्कैप एवं वृक्षारोपण का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
3. पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल का प्रयोग सिर्फ पार्किंग हेतु सुनिश्चित करना होगा।
4. शमनित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कभी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन परिसर में कोई दुर्घटना होती है, तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए निर्माणकर्ता के निदेशकगण निजी रूप से उत्तरदायी होंगे एवं शपथ पत्र में से कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो निर्माणकर्ता/फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
5. निर्माणकर्ता को अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
6. निर्मित भवनों के प्रयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
7. निर्मित भवन में स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु मानचित्रों को आई.आई.टी. से कराये गये वेट के अनुसार प्रावधान करना होगा।
8. निर्माणकर्ता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
9. सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व परिसर के समस्त सर्विसेज को क्रियाशील करना होगा।

P.T.O

10. शमन मानचित्र में दर्शित स्वीकृत से विपरीत कोई उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।

11. प्रभावी उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट–2010 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।

12. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। भूमि सम्बन्धी विवाद संज्ञान में आने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, इस आशय का शपथ पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

13. सुरक्षा मंत्रालय के वायु भवन से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

14. विकास एवं निर्माण से सम्बन्धी ऐसी अपेक्षाएं/प्रावधानों जो उपविधि–2008 गा0वि0प्रा0 में वर्णित नहीं है, के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डंग कोड तथा आई.एस.वी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में आप स्वय उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः शमन मानचित्र की एक प्रति।

20.1.2017

(हनुमान प्रसाद)
विशेषकार्याधिकारी/प्रभारी प्रवर्तन जोन–4